



प्रथम अर्थीय न्यायालय द्वारा भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जोर अधील प्रकरण में अपनाने गईं। अधील को नजर अन्दाज करते हुए जोर अधील आदेश पारित किया गया है, जो विधि विरुद्ध है। इस प्रकार प्रकरण नियमितिकरण योग्य था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन समस्त आवादी बस चुकी है, लोगों के पक्के मकानाल स्थित है, जिसमें विद्युत व पानी के कनेक्शन नम्बर 844 की भी, जिसके भाग पर अधीलाट का कब्जा बताया गया है, उस सम्पूर्ण भी में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरुद्ध रूप से जोर अधील आदेश पारित किया गया है। खसरा प्रकरण चला हो। अधीलाट के विरुद्ध पूर्व में कोई प्रकरण नहीं चला था, इसके बावजूद भी पश्चातवर्ती अतिकमी उसे माना जाता है, जिसके विरुद्ध पूर्व में अतिक्रमण करने बावत अधीनस्थ न्यायालय का दण्ड दिया गया है, जो विधि विरुद्ध समितित सुनवाई का अवसर दिये बिना पश्चातवर्ती अतिकमी मानते हुए जोर अधील आदेश के बयान कलमबद्ध किये गये तथा न ही किसी प्रकार के साक्ष्य प्रदर्शित हुए। अधीलाट को प्रकार के कोई साक्ष्य सर्बत ही पत्रावली पर उपलब्ध थे। इस सम्बन्ध में न तो पटवारी हक्का के अधीलाट पश्चातवर्ती अतिकमी की श्रणी में परिलक्षित होता है अथवा नहीं? तथा न ही इस दण्डित किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस बावत किसी प्रकार की जांच नहीं की गई कि मानते हुए अधीलाट पर जमाना आरोपित किया तथा साथ ही तीन माह के स्थित कारावास से दिनांक 27.12.2016 को आदेश पारित करते हुए धारा 91 (2) के तहत पश्चातवर्ती अतिक्रमण नोटिस जारी किया तथा दिनांक 16.09.2016 को तारीख पेशी नियत की गई। इसके पश्चात रकबा 0.04 हेक्टर, किस्म गी0म0 माखर की भी पर अनाधिकृत कब्जा करने के सम्बन्ध में अधीनस्थ 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज कर ग्राम खिवाली के खसरा नम्बर 847 दोहराते हुए कथन किया कि तहसीलदार सुभरपुर ने अधीलाट के विरुद्ध राजस्थान में राजस्व विद्वान अधिमाषक अधीलान्ट ने अधील बहस के दौरान अधील में वर्णित तथ्यों को तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

दर्ज रजिस्टर कर रेगुलेशन को जारी सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकॉर्ड अधील संख्या 26/2017 में पारित निर्णय दिनांक 09.03.2017 के विरुद्ध पेश की गई। अधील द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.12.2016 तथा न्यायालय जिला कलक्टर, पाली द्वारा राजस्व राज में राजस्व अधीनस्थ 1956 के तहत प्रकरण संख्या 924/2016 में तहसीलदार सुभरपुर अधीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह द्वितीय अधील अन्तर्गत धारा 76

दिनांक:- 18-12-17

:- निर्णय :-

उपर्युक्त :-
श्री दीपाराम परमार, विद्वान अधिमाषक अधीलाट
सरकारी प्रोकर, रेगुलेशन की ओर से 340

अधील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान में राजस्व अधीनस्थ 1956

राजस्थान अधील : 59/2017
अधीलान्ट
बनाम
रेगुलेशन :-
खसारा म पुत्र हंसाराम जाति कुम्हार
निवासी खिवाली तहसील सुभरपुर
सरकार जारिय भीमासी तहसीलदार
सुभरपुर

न्यायालय राजस्थान अधील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ० बजरंगसिंह चाडौन, आर.ए.एस.



राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
(डॉ० बजरंगसिंह चौहान)

(Handwritten signature)

कर खर्चे न्यायालय में सौंपा गया।

निर्णय आज दिनांक 18.12.17

निर्णय की प्रति के साथ अधिनस्थ न्यायालय का रेकॉर्ड लौटाया जावे।

निर्णय दिनांक 09.03.2017 में पारित निर्णय दिनांक 09.03.2017 को यथावत रखा जाता है। इस

2016 तथा न्यायालय जिला कलक्टर, पाली द्वारा राजस्व अपील संख्या 26/2017 में पारित

है तथा तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा प्रकरण संख्या 924/2016 में पारित आदेश दिनांक 27.12.

परिणाम स्वल्प अपीलाट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती

आदेश पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की रूटी नहीं पाई जाती है।

राजस्थान में राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही करते हुए जैर अपील

में पर अनाधिकृत कब्जा करने के कारण अपीलाट के विरुद्ध अधिनस्थ न्यायालय द्वारा

प्रस्तुत किया। प्रकरण का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि अपीलाट द्वारा राजकीय

सम्पत्तियों से उपस्थित की नहीं हुआ तथा न ही किसी प्रकार से जवाब अथवा दर्तावेज आदि

करने का समर्थित अवसर प्रदान किया था, किन्तु अपीलाट अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष

सिखित कारवायों से दृष्टिगत किया। अपीलाट को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत

अपीलाट को उक्त में से बेदखल करने एवं पश्चातवर्ती अतिक्रम मानते हुए तीन माह के

करने का अवसर दिये जाने के पश्चात जैर अपील आदेश के जारिये अधिनस्थ न्यायालय द्वारा

समक्ष उपस्थित हुआ। इस प्रकार तामील को विधिवत तामील मानते हुए चार बार पक्ष प्रस्तुत

करवाया गया है, जिसकी पालना में नियत तारीख पेशी को अपीलाट अधिनस्थ न्यायालय के

की पालना में जो नोटिस जारी किया गया, वह अपीलाट के कर्तव्य के सदस्य से तामील

प्रकरण दर्ज रजिस्टर करते हुए दिनांक 16.09.2016 की तारीख पेशी नियत की। उक्त आदेश

इस पर तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा राजस्थान में राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत

आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की कि खसारा मूज इंसारम द्वारा उपरोक्त में पर कब्जा किया है,

में सरकारी खाते में दर्ज है। पटवारी इल्का खिवान्दी द्वारा तहसीलदार सुमेरपुर के समक्ष इस

खिवान्दी के खसरा नंबर 847 रकबा 0.04 हेक्टेयर लिक्सम गी०मू० माखर की में स्पष्ट होता है कि ग्राम

किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि ग्राम

उभयपक्ष अभिसमापकगण की बहस पर मनन किया गया, पत्रावली का अवलोकन

आदेश पारित किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपीलाट की अपील खारिज करावे।

गई है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए जैर अपील

के कारण अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही विधि सम्मत प्रकिया अपनाते हुए की

रूँकि अपीलाट द्वारा किया गया अतिक्रमण पश्चातवर्ती अतिक्रमण की श्रेणी में परिलक्षित होने

अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही करते हुए आदेश बेदखली पारित किया गया है।

में पर अपीलाट द्वारा अतिक्रमण करने के कारण अपीलाट के विरुद्ध राजस्थान में राजस्व

नंबर 847 रकबा 0.04 हेक्टेयर लिक्सम गी०मू० माखर की में स्पष्ट है। उक्त

सरकारी पुरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम खिवान्दी के खसरा

पारित जैर अपील आदेश को अपास्त करावे।

की परिस्थितियों का दृष्टिगत रखते हुए अपील स्वीकार करावे एवं अधिनस्थ न्यायालय द्वारा

व्यक्ति है, जिस निरुद्ध रखा जाता है, तो उसके परिवार की दृष्टिगत हो जायेगी। अतः प्रकरण

व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है। अपीलाट अपने परिवार में कमाने वाला अकेला

प्रकिया की कोई समीक्षा नहीं की तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय बदल रखा। इससे